

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

खण्डवा, दिनांक 16-8-2023

क्रमांक/व्यय/2023/

221

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनमण्डल अधिकारी बुरहानपुर द्वारा इन्दौर एदलाबाद भारतमाला सड़क परियोजना एन.एच.753 बोरगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर सेक्शन में 4 लेनिंग कार्य से प्रभावित वन भूमि के बदले परिक्षेत्र बुरहानपुर के कक्ष क्रमांक 460 के रकबा 25.00 हेक्टेयर की प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष रोपण एवं 9 वर्ष का रखरखाव (वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक) की वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना प्रस्तुत की है। म.प्र. वृक्ष ऑफ फाइनैसियल पावर 1995 के वाल्यूम- II के अनुक्रमांक-14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/ 03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 1194/ 191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 से प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए योजना का अनुमोदन किया जाकर निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विस्तारित सारणी

वर्षवार प्रस्तावित व्यय														
अ.क.	स्थल	रकबा (हेक्टर में)	I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year	योग
1	परिक्षेत्र बुरहानपुर कक्ष क्र 460	25.00	6343476	2258841	2837314	2745347	735968	289074	292235	309850	328391	348169	368771	16857436
आस्थामूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत														842872
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत														168574
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत														674297
योग :-														1685743
पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत														1854318
महायोग राशि :-														20397497
अंश 1 के तहत निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-														

उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-

- समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
- समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें।
- कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही करावें।
- यदि किसी कार्य हेतु जॉब दरें स्वीकृत नहीं है तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें।
- ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावें।
- योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें।
- सामग्री कय व उपयोग म.प्र. भण्डार कय नियमों के अनुरूप किया जावें।
- कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावें।
- शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुरितका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावें।
- समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावें।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावें।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वन संरक्षक खण्डवा वृत्त का है।



(Signature)

- 16) प्रस्तुत प्रोजेक्ट अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र की प्रस्तुत की गई है भविष्य में यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे।
- 17) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-04/2023/मानिट/44-3/10-3/1565 दिनांक 06.06.2023 में दिये निर्देशानुसार वृक्षारोपण में न्यूनतम 50 प्रतिशत पौधे वनोपज (मिश्रित प्रजाति) के लगाये जाये।
- 18) वरिष्ठ के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्र में 1 से 2 प्रतिशत दुर्लभ संकटापन्न एवं विलुप्तप्राय: (RET) प्रजातियों को शामिल किया जाए। वन क्षेत्रों में विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण कदापि नहीं किया जाएगा।
- 19) योजना की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।


(रमेश गणावा)

वन संरक्षक

 खण्डवा वृत्त खण्डवा

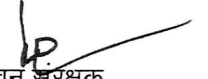
पृ.क/व्यय/2023/ 6415

खण्डवा, दिनांक 16-8-2023

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल बुरहानपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/2950 दिनांक 09.08.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।


वन संरक्षक

 खण्डवा वृत्त खण्डवा

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2023/ 205

खण्डवा, दिनांक 01-8-2023

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनमण्डल अधिकारी खरगोन द्वारा 4 Laning of Boregaon Buzurg to Muktainagr section of BNH&753 L From Ch 139+000 to Ch.216+000 (Length 77+000 KM) under Bhartmala Pariyojna in the state of Madhya Pradesh निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले जलाऊ एवं चारागाह विकास कार्य वृत्त में परिक्षेत्र भीकनगांव के कक्ष क्रमांक 1002 के रकबा 80 हेक्टेयर की वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना प्रस्तुत की है। म.प्र. बुक ऑफ फाइनैसियल पावर 1995 के वाल्यूम- I के अनुक्रमांक-14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 1194/ 191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 से प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अ.क.	स्थल	एकबा (हेक्टर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय											
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year	योग
1	परिक्षेत्र भीकनगांव कक्ष क्रमांक 1002	80.00	13669866	5677691	4889197	4003389	1648340	618248	666696	694848	736428	780780	826980	34212463
आस्थामूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत														1710623
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत														342125
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत														1368499
योग :-														3421246
पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत														3763371
महायोग राशि :-														41397080

- समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
- समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें।
- कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आंबटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही करायें।
- यदि किसी कार्य हेतु जाब दरें स्वीकृत नहीं है तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें।
- ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावें।
- योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें।
- सामग्री कय व उपयोग म.प्र. भण्डार कय नियमों के अनुरूप किया जावें।
- कार्य का कियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावें।
- शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुरितका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावें।
- समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावें।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावें।



- 15) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त का है।
- 16) उपचारित किए जाने वाले क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण रिक्त कराया जावें।
- 17) प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार धारक है तो वन अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 में वर्णित कर्तव्य से अवगत करावें।
- 18) योजना की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।

(एन.के.सनोडिया)
मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

6140

पृ.क/व्यय/2023/

खण्डवा, दिनांक 01-8-2023

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल खरगोन की ओर आपके पत्र क्रमांक/तकनीकी/2023/6845 दिनांक 28.07.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।

3. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल बुरहानपुर की ओर वनमण्डलाधिकारी खरगोन के पृष्ठांकन क्रमांक/2023/6846 दिनांक 28.07.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।

मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2023/

207

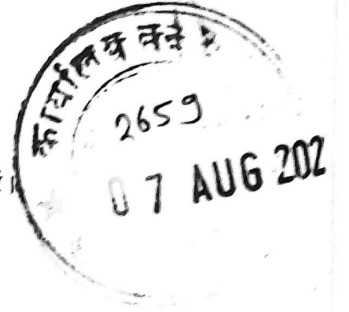
खण्डवा, दिनांक 01-8-2023

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनमण्डल अधिकारी खरगोन द्वारा 4 Laning of Boregaon Buzurg to Muktainagr section of BNH&753 L From Ch 139+000 to Ch.216+000 (Length 77+000 KM) under Bhartmala Pariyojna in the state of Madhya Pradesh निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले जलाऊ एवं चारागाह विकास कार्य वृत्त में परिक्षेत्र भीकनगांव के कक्ष क्रमांक 972 के रकबा 50 हेक्टेयर की वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना प्रस्तुत की है। म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंसियल पावर 1995 के वाल्यूम-11 के अनुक्रमांक-14 वी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 1194/ 191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 से प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अ.क्र.	स्थल	रकबा (हेक्टर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय											
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year	योग
1	परिक्षेत्र भीकनगांव कक्ष क्रमांक 972	50.00	8543666	3183702	2572612	2622124	706515	437076	463304	491230	520625	551980	584642	20677476
आस्था मूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत														1033874
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत														206775
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत														827099
योग :-														2067748
पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत														2274522
महायोग राशि :-														25019746
निम्नलिखित कार्य के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमां एवं														

समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।

- समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें।
- कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आंबटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही करावें।
- यदि किसी कार्य हेतु जाब दरें स्वीकृत नहीं है तो ऐसे कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें।
- ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावें।
- योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें।
- सामग्री कय व उपयोग म.प्र. भण्डार कय नियमों के अनुरूप किया जावें।
- कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावें।
- शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावें।
- समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावें।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावें।



प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त का है।

उपचारित किए जाने वाले क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण रिक्त कराया जावे।

16) प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार धारक है तो वन अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 में वर्णित कर्तव्य से अवगत करावे।

17) योजना की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।

mu
(एन.के.सोनोडिया)

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

पृ.क./व्यय/2023/

6142

खण्डवा, दिनांक 01-8-2023

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल खरगोन की ओर आपके पत्र क्रमांक/तकनीकी/2023/6845 दिनांक 28.07.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।

3. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल बुरहानपुर की ओर वनमण्डलाधिकारी खरगोन के पृष्ठांकन क्रमांक/2023/6846 दिनांक 28.07.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।

mu
मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

SM

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2023/

खण्डवा, दिनांक 18-01-2023

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनमण्डल अधिकारी बड़वानी द्वारा 4 laning of Boregaon Buzaurg to Muktainagar section of NH 753 L from ch.139+000 to ch. 216+000 (length 77+000 km) under BHARTMALA priyojana in th state of Madhya Pradesh की कक्ष क्रमांक 295 रकबा 25.00 हेक्टेयर की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की है। म.प्र. बुक ऑफ फाइनैसियल पावर 1995 के वाल्यूम-11 के अनुक्रमांक-14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/ 03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 के सरल क्रमांक 20 से प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अ.क.	स्थल	रकबा (हेक्टेयर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय											योग
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year	
1	परिक्षेत्र बड़वानी कक्ष क्रमांक 295	25.00	4805000	3360200	3179787	3310980	224725	171365	181568	436160	204032	300820	229120	16403757
आस्थामूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत														820188
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत														164038
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत														656150
योग :-														1640376
पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत														1804413
महायोग राशि :-														19848546

- 1) समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2) समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें।
- 3) कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आंबटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही करायें।
- 4) यदि किसी कार्य हेतु जाब दरें स्वीकृत नहीं है तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- 5) वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- 6) कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें।
- 7) ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावें।
- 8) योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें।
- 9) सामग्री कय व उपयोग म.प्र. भण्डार कय नियमों के अनुरूप किया जावें।
- 10) कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावें।
- 11) शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।
- 12) उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावें।
- 13) समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावें।
- 14) संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावें।
- 15) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त का है।
- 16) उपचारित किए जाने वाले क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण रिक्त कराया जावें।

1. प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार धारक है तो वन अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 में वर्णित कर्तव्य से अवगत करावे।

2. योजना की समीक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।

(आर पी सय)

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

पृ. 202/2023/ 579

खण्डवा, दिनांक 18-01-2023

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल बड़वानी की ओर आपके पत्र क्रमांक/भा.वि./2023/159 दिनांक 10.01.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।

मा.वि.

लमडा
23/01/2023

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

पृ. 202/2023/ 579

बड़वानी रि.

प्रतिलिपि :- ① उप वन म.प्र. बड़वानी

② वनपरिषद अधिकारी बड़वानी की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

23/01/23
DIVISIONAL FOREST OFFICER
(F) DIVISION-BARWANI (M.P.)